न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–71 / 2018

दशरथ राय वगैरह.....वादीगण

बनाम

विजय राय वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

24.02.23 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–1, 4 एवं 6 से 14 की ओर से सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन के विरुद्ध दाखिल आपत्ति आवेदन दिनांक–02.11.2022 तथा उसके तत्संबंधित वादीगणों की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–14.12.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादीगणों ने यह निवेदन किया है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा केवल स्थल निरीक्षण करते हुए विवादी खेसरा का पहचान किया गया है और नजरी नक्सा में अंकित किया है जबकि स्थल पर नापी के आधार पर वह अंकित नहीं है। बिना नक्सा के उपरोक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं है जिसके कारण उसकी वैज्ञानिक माप संदेहास्पद है और बिना मुस्तकील बिन्दु निर्धारित करते हुए तथा बिना लम्बाई–चौड़ाई की नापी किए खेसरा सं0–118 का क्षेत्रफल प्रतिवेदन में अंकित किया जाना और वादी के मेल में ग्यारह धूर भूमि का अतिक्रमण दर्शाया जाना बिल्कुल गलत है। प्रतिवादी ने दिनांक–22.09.2020 को खेसरा सं0–118 वो खेसरा सं0–419 की वैज्ञानिक माप करते हुए सिमांकन संबंधी जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निवेदन किया था, परन्तु जानकारी होने के बावजूद केवल वादी के मेल में खेसरा सं0–118 का मापी दर्शाकर बिना किसी मुस्तकील बिन्दु के चर्चा किए हुए खेसरा सं0–419 की ग्यारह धूर भूमि में खेसरा सं0–118 की भूमि का अतिक्रमण दर्शा दिया गया। उनके प्रतिवेदन में पुराना खेसरा सं0–118 से कौन–कौन खेसरा बना है, वह अंकित नहीं है और केवल नया खेसरा सं0–799 को अंकित किया है। नया नक्सा अभी तक अंतिम नहीं है एवं सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

वादीगणों ने उपरोक्त दाखिल आवेदन के प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिपरीक्षण का अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त है और उपरोक्त आवेदन बिना सत्यापन और शपथ–पत्र से समर्थित है। उभय पक्षों व उनके विद्वान अधिवक्ता के समक्ष मापी का कार्य सम्पन्न हुआ जो मैप के आधार पर हुई। उपरोक्त मापी मुस्तकील बिन्दु के साथ प्रतिवेदित है और पुराना खेसरा सं0–118 व 419 का वर्णन अलग–अलग स्पष्ट है। उनके प्रतिवेदन के प्रश्न सं0–5 एवं 6 के उत्तर में नया व पुराना खेसरा को दर्शाया गया है और आयुक्त महोदय ने अपने प्रतिवेदन के साथ नक्सा भी दाखिल किया है जो सी0एस0 और आर0एस0 नक्सा के

T.S- 71/2018

24-02-23 तुलनात्मक नक्सा है और सही है। नक्सा का निर्माण उभय पक्षों की सहमति से है और प्रतिवदेन में कोई विसंगतियां नहीं है तथा उनकी आपत्ति बिना अधिवक्ता आयुक्त के साक्ष्य विचारण योग्य नहीं है एवं आपत्ति आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगणों द्वारा विवादित भूमि, खेसरा सं0–419 एवं 118 के संबंध में प्रतिदावा वाद दायर करते हुए पटबन्दी एवं दखल–कब्जा वापसी हेतु प्रतिदावा की मांग वादी की ओर से की गई है। वर्तमान वाद में प्रतिवादीगणों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–22.09.2020 के आधार पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक–10.12.2020 द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की गई थी जिसके अग्रसरण में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दिनांक–10.08.2022 को सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा नक्सा के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। दाखिल प्रतिवेदन के साथ नया व पुराना नक्सा उस नक्से के आधार पर तुलनात्मक नक्सा एवं नजरी नक्सा संलग्न है। नजरी नक्सा में भूमि के प्रत्येक भूजाओं की लम्बाई–चौड़ाई अंकित की गई है और आदेश फलक के अनुसार उभय पक्षों को उक्त अन्वेषण की जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्न सं0–6 के उत्तर में बहुत सारे कथनों को काटकर पुनः अंकित किया गया है जो पुराना एवं नया खेसरा का विस्तृत विवरण है। जहॉ अतिक्रमण का प्रश्न है तो प्रश्न सं0–5 के उत्तर में इसका उत्तर साकारात्मक है जो प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिदावा वाद का समर्थन करता है। स्वंय प्रतिवादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन के आलोक में वह प्रतिवेदन दाखिल किया गया है और न्यायालय को ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि उक्त प्रतिवेदन के निर्माण में किसी प्रकार की वैज्ञानिक त्रुटि की गई है। जहॉ तक विवादित भूमि के भौतिक स्थिति के संबंध में वैज्ञानिक माप का प्रश्न है तो यह साबित करने का भार पूर्णरुपेण प्रतिवादी पर है और इस संदर्भ में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दाखिल प्रतिवेदन खण्डनकारी साक्ष्य की श्रेणी में आता है जिसे प्रतिवादी उनके प्रतिपरीक्षण के दौरान विनिर्दिष्ट रूप से पूछ सकते हैं। अतः प्रतिवेदन के संबंध में केवल मात्र स्थल निरीक्षण के विपरीत प्रतिवेदन का दिया जाना युक्तियुक्त नहीं है। तद्नुसार प्रतिवादीगणों द्वारा दाखिल उपरोक्त आपत्ति आवेदन इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिवेदन के संदर्भ में विशेषज्ञ साक्षी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा दाखिल प्रतिवेदन के साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता के समय साक्षी का प्रतिपरीक्षण करते हुए अपने खण्डन की पुष्टि कर सकते हैं।

वाद दिनांक– 12-05-2023 वास्ते धारा–89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी।